राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथी मंजिल, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह रोड़, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16

अनुक्रमणिका

बिन्दु संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
01.	विभाग का संगठनात्मक ढांचा	01
02.	स्वीकृत–कार्यरत् तथा रिक्त पदों का विवरण	01 से 03
03.	विभागीय प्रमुख कार्य तथा प्रत्येक प्रमुख कार्य के विरूद्व आलोच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्षों से तुलना	03 से 09
04.	आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियां।	09 से 10
05.	सार–संक्षेप (Excutive Summary)	10 से 11

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड

चौथी मंजिल, नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह रोड़, जयपुर

प्रशासनिक प्रतिवेदन वर्ष 2015–16

प्रस्तावना :–

01 जुलाई 1956 से राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड, जयपुर राजकीय उपक्रम के रूप में कार्य कर रहा है। कम्पनी के 98.79 प्रतिशत अंश राज्य सरकार के हैं शेष अंशों पर निजी अंशधारियों का स्वामित्व है।

1. विभाग का संगठनात्मक ढाँचा :–

1.1 संस्थान कम्पनी अधिनियम में एक पंजीकृत "कम्पनी" है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/ मुख्यालय, नेहरू सहकार भवन, जयपुर में स्थित है। कम्पनी का संचालक मण्डल है जिसके, शासन सचिव वित्त (राजस्व) कम्पनी के पदेन प्रभारी संचालक हैं। प्रभारी संचालक को प्रशासनिक कार्य में सहयोग देने हेतु मुख्यालय जयपुर में महाप्रबन्धक (मुख्यालय) पदस्थापित है। शुगर फैक्ट्री के सम्पूर्ण कार्य कलापों को देखने के लिये एक महाप्रबन्धक का पद श्रीगंगानगर में है। विभागीय कार्य कलापों को प्रभावी रूप से संचालित किये जाने हेतु वित्तीय सलाहकार, कम्पनी सचिव, उप महाप्रबन्धक (उ. एवं वि.)/क्रय/प्रशासन एवं कार्मिक/ऑडिट–टैक्स/तथा अन्य अधिकारीगण पदस्थापित है।

1.2 अन्य कार्यालयों की स्थिति :–

(अ) शुगर फैक्ट्री एवं आसवन शाला – श्रीगंगानगर

(ब) मदिरा इकाई :–

क. सं.	यूनिट कार्यालय	मदिरालयों की संख्या	अधिनस्थ मदिरालय के नाम	डिपो की संख्या
1.	अजमेर	2	अजमेर–भीलवाडा	13
2.	झोटवाडा जयपुर	3	झोटवाडा–जयपुर, झुन्झुनू, सीकर	19
3.	जोधपुर	3	मण्डौर, रानी, सिरोही	15
4.	कोटा	3	कोटा, बारां बून्दी	11
5.	उदयपुर	2	उदयपुर, चित्तौडगढ	14
6.	भरतपुर	4	भरतपुर, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, अलवर	14
7.	गंगानगर	3	श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, खारां (बीकानेर)	12
	योग	**20**	**योग**	**98**

2. संस्थान के स्वीकृत (कार्यरत् एवं रिक्त) पदों का विवरण (दिनांक 31.12.2015 की स्थिति):–

क्र. सं.	पद का नाम	रनिंग पे बेण्ड + ग्रेड पे	स्वीकृत पद	कार्यरत्	रिक्त
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	सामान्य संवर्ग :–				
1.	महाप्रबन्धक (प्रतिनियुक्ति पद)	37400-67000/8700	02	02	-
2.	उप महाप्रबन्धक	15600-39100/7600	06	02	04
3.	कम्पनी सचिव	15600-39100/6600	01	01	-
4.	वरिष्ठ प्रबन्धक	15600-39100/6600	06	03	03
5.	प्रबन्धक	15600-39100/5400	06	06	-
6.	उप प्रबन्धक	9300-34800/4800	21	5	16
7.	सहायक प्रबन्धक (प्रथम)	9300-34800/4200	15	12	03

8.	सहायक प्रबन्धक (द्वितीय)	9300-34800/3600	50	38	12
9.	वरिष्ठ लिपिक	5200-20200/2800	75	45	30
10.	कनिष्ठ लिपिक	5200-20200/2400	90	69	21
11.	उप प्रबन्धक (लीगल) / सहायक विधि परामर्शी	9300-34800/4800	01	01	-
12.	सहायक प्रबन्धक (द्वितीय) लीगल	9300-34800/3600	01	-	01
13.	सहायक अभियन्ता (मदिरा इकाई)	9300-34800/4800	02	02	-
14.	वाहन चालक	5200-20200/2400	15	11	04
15.	जमादार	5200-20200/1700	04	04	-
16.	च.श्रे.कर्मचारी	5200-20200/1700	94	48	46
मन्त्रालयिक संवर्ग :–					
1.	वरिष्ठ निजी सचिव	15600-39100/6600	01	-	01
2.	निजी सचिव	15600-39100/5400	02	01	01
3.	वरिष्ठ निजी सहायक	9300-34800/4800	03	01	02
4.	निजी सहायक	9300-34800/4200	01	01	-
5.	स्टेनो ग्राफर	9300-34800/3600	03	-	03
आई.टी. शाखा :–					
1.	एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	15600-39100/6600	01	01 (अति. प्रभार)	-
2.	प्रोग्रामर	15600-39100/4800	02	02	-
3.	सहायक प्रोग्रामर	9300-34800/4200	08	04	04
4.	सूचना सहायक	5200-20200/2800	26	24	02
लेखा संवर्ग :–					
1.	वित्तीय सलाहकार	37400-67000/8700	01	01	-
2.	प्रबन्धक	15600-39100/5400	05	05	-
3.	उप प्रबन्धक	9300-34800/4800	12	09	03
4.	लेखाकार	9300-34800/4200	16	11	05
5.	कनिष्ठ लेखाकार	9300-34800/3600	20	11	09
6.	लेखा लिपिक	5200-20200/2800	20	04	16
7.	सहायक लेखा लिपिक	5200-20200/2400	09	05	04
तकनिकी अधिकारी / कर्मचारी संवर्ग शुगर फैक्ट्री / आसवनशाला श्रीगंगानगर :–					
1.	मुख्य अभियंता	37400-67000/8700	01	-	01
2.	उप मुख्य अभियंता	15600-39100/6600	01	01	-
3.	वरिष्ठ अभियंता (विद्युत)	9300-34800/5400	01	01	-
4.	वरिष्ठ अभियन्ता (सिविल)	15600-39100/5400	01	01	-
4.	वरिष्ठ अभियन्ता (मैकेनिकल)	15600-39100/5400	01	01	-
5.	सहायक अभियन्ता	9300-34800/4200	04	04	-
6.	कनिष्ठ अभियन्ता	9300-34800/3600	04	-	04
7.	ड्राफ्टमैन	5200-20200/2800	01	-	01
8.	मुख्य रसायनिज्ञ	15600-39100/7600	01	-	01
9.	उप मुख्य रसायनिज्ञ	15600-39100/6600	01	01	-
10.	वरिष्ठ रसायनिज्ञ	15600-39100/5400	01	01	-
11.	कैमिस्ट / लैब इंचार्ज	9300-34800/4800	03	01	02

गन्ना विभाग :–					
12.	मुख्य गन्ना विकास अधिकारी	15600-39100/7600	01	-	01
13.	गन्ना विकास अधिकारी	15600-39100/6600	01	01	-
14.	उप गन्ना विकास अधिकारी एवं वरिष्ठ प्रसार अधिकारी	15600-39100/5400	02	01	01
15.	वरिष्ठ प्रसार अधिकारी	9300-34800/4800	01	-	01
16.	प्रसार अधिकारी	9300-34800/3600	01	-	01
डिस्टलरी :–					
17.	मुख्य डिस्टलरी कैमिस्ट	15600-39100/7600	01	-	01
18.	उप मुख्य डिस्टलरी कैमिस्ट	15600-39100/6600	01	-	01
19.	वरिष्ठ कैमिस्ट	15600-39100/5400	01	-	01
20	कैमिस्ट कम ब्लैन्डर	9300-34800/4800	03	04	+01
21.	लैब इंचार्ज	9300-34800/4800	01	01	-
अन्य :–					
22.	कुक	5200-20200/2400	01	-	01
23.	कम्पाउंडर / नर्स (प्रतिनियुक्ति)	5200-20200/2800	02	02	-
24.	श्रम कल्याण अधिकारी	9300-34800/4800	01	-	01
25.	सुरक्षा अधिकारी	9300-34800/4800	01	-	01
26.	सीजनल कनिष्ठ लिपिक	5200-20200/2400	07	-	07
27.	सीजनल च.श्रे.कर्मचारी	5200-20200/1700	08	-	08

नई एकीकृत चीनी मिल परियोजना तथा अन्य विशिष्ट कार्यों के लिये संस्थान द्वारा सीमित अवधि के लिये 13 कन्सलटेंट Hire (फिक्स वेतन पर) किये हुये है।

3. संस्थान के प्रमुख कार्य :–

- शुगर फैक्ट्री श्रीगंगानगर में गन्ने से चीनी का उत्पादन।
- श्रीगंगानगर डिस्टलरी में मोलासिस से शोधित प्रासव का उत्पादन।
- राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित 20 मदिरा निर्माण केन्द्रों (रिडक्शन सेन्टर्स) पर देशी मदिरा का उत्पादन।
- संस्थान के झोटवाड़ा, जयपुर संयंत्र में हैरिटेज मदिरा का उत्पादन।
- जिला / तहसील स्तर पर 98 मदिरा डिपो के माध्यम से राज्य सरकार के नियमों तथा निर्देशानुसार खुदरा अनुज्ञा पत्र धारी दुकानों को देशी मदिरा की आपूर्ति।
- जनजाति क्षेत्रों (डूँगरपुर एवं बांसवाड़ा) में मदिरा दुकानों का संचालन।

4. प्रमुख कार्यों के विरूद्ध आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना :–

4.1 चीनी संभाग :–

4.1.1 चीनी उत्पादन :–

वर्ष	गन्ना पिराई की गई (लाख क्विं0 में)	रिकवरी प्रतिशत	उत्पादित चीनी की मात्रा (लाख क्विं0 में)
2013-2014	6.70	8.18	0.56
2014-2015	7.83	8.31	0.649
2015-2016 (31.12.2015 तक)	सीजन प्रारम्भ नहीं हुआ है।		

4.1.2 नवीन परियोजना का विवरण :–

- नई एकीकृत चीनी मिल परियोजना के तहत ग्राम चक 23 एफ़ (श्रीगंगानगर से 30 कि.मी.), तह. करणपुर, जिला श्रीगंगानगर में 1500 टन प्रतिदिन पिराई क्षमता (भविष्य मे 2500 टन प्रतिदिन

पिराई क्षमता वृद्वि के प्रावधान सहित) की शुगर मिल ट्रायल दिनांक 15.01.2016 से प्रारम्भ कर दिया गया है।

- नई शुगर मिल के लिए कुल 37.695 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें से 23.022 हैक्टेयर भूमि का कब्जा कम्पनी द्वारा लिया जा चुका है। 23.377 हैक्टेयर भूमि के हितबद्ध काश्तकारों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में केस दायर कर रखा है जिसमें से केवल 2 याचिकाओं से सम्बन्धित 14.673 हेक्टेयर भूमि पर हितबद्ध काश्तगारों को बेदखल नहीं करने का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है। अग्रिम सुनवाई की तिथि 23.02.2016 है।

4.2 <u>मदिरा संभाग</u> :–

4.2.1 वर्ष 2013–14 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का (काँच व पेट) विक्रय मूल्य रू. 355/– प्रति कार्टून 50 यू.पी. देशी मदिरा पव्वो का विक्रय मूल्य रू. 330/– तथा 60 यू.पी. देशी मदिरा पव्वो का विक्रय मूल्य रू. 290/– प्रति कार्टून निर्धारित किया गया था।

- वर्ष 2013–14 के दौरान कम्पनी को निजी डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की आपूर्ति पर मदिरा की कीमत का 13.10 प्रतिशत हैण्डलिंग चार्ज की राशि क्रय मूल्य पर देय की गई।

- बोटलिंग चार्जेज रू. 2.40 से बढ़ाकर रू. 4.40 प्रति बी.एल. किया गया।

4.2.2 वर्ष 2014–15 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित ग्लास रू. 375/–व आर.एस आधारित पेट विक्रय मूल्य रू. 355/– व ई.एन.ए आधारित ग्लास रू. 390/– तथा ई.एन.ए आधारित पेट रू. 370/– प्रति कार्टन, 50 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित रू. 336/– व ई.एन.ए आधारित रू 349/– तथा 60 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का विक्रय मूल्य रू. 296/– प्रति कार्टन निर्धारित किया गया था।

- राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि., द्वारा देशी मदिरा की कुल आपूर्ति की न्यूनतम 35 प्रतिशत मदिरा 50 यू.पी. अथवा 60 यू.पी. की आपूर्ति अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित की गयी थी।

- वर्ष 2014–15 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि.का अधिकतम 45 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लान्ट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत रखा गया था परन्तु इसमें से निजी बोटलिंग प्लाट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा रखे जाने का निर्णय लिया गया था।

- वर्ष 2014–15 के दौरान कम्पनी को निजी डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की आपूर्ति किये जाने वाली देशी मदिरा पर संस्थान द्वारा उनकी ऑफर दर में से बोटलिंग फीस कम करते हुये 13.10 प्रतिशत मार्जिन की राशि क्रय मूल्य पर देय की गई थी।

- बोटलिंग चार्जेज रू 4.40 प्रति बी.एल किया गया था।

4.2.3 वर्ष 2015–16 में 40 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित ग्लास रू. 396/– व आर.एस. आधारित पेट विक्रय मूल्य रू. 376/– व ई.एन.ए आधारित ग्लास रू. 411/– तथा ई.एन.ए. आधारित पेट रू 391/– प्रति कार्टन निर्धारित है। 50 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का विक्रय मूल्य आर.एस आधारित रू 357/– एव. ई.एन.ए आधारित रू. 370/– तथा 60 यू.पी. देशी मदिरा पव्वों का विक्रय मूल्य रू. 317/– प्रति कार्टन निर्धारित किया गया है।

- वर्ष 2015–16 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. का अधिकतम 45 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं बोटलिंग प्लान्ट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत होगा परन्तु इसमें से निजी बोटलिंग प्लाट का 12 प्रतिशत हिस्सा रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

- वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी को निजी डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की आपूर्ति किये जाने वाली देशी मदिरा पर संस्थान द्वारा उनकी ऑफर दर में से बोटलिंग फीस कम करते हुये 13.10 प्रतिशत मार्जिन की राशि क्रय मूल्य पर देय की गई है।

- वर्ष 2015–16 मे राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के लिये मदिरा उत्पादन में ग्रेन एवं मोलासिस स्प्रिट प्रयोग हेतु 60:40 का अनुपात पूर्व वर्षों की भांति जारी रखा गया है।

- बोटलिंग चार्जेज रू. 5.00 प्रति बी.एल किया गया है।

4.2.4 गत 3 वर्षों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 स्वयं द्वारा उत्पादित देशी मदिरा आपूर्ति का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.सं.	वर्ष	रिटेल अनुज्ञाधारियों को आपूर्ति (लाखों में)	
		बी.एल.	एल.पी.एल.
1.	2013–14	654.55	381.10
2.	2014–15	774.77	447.02
3.	2015–16 (31.12.2015 तक)	640.04	365.17

4.2.5 गत 3 वर्षों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0एवं निजी डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित एवं आपूर्ति की गई देशी मदिरा, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत एवं वास्तविक अर्जित मार्केट शेयर का प्रतिशत निम्नानुसार है :–

वर्ष	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत		देशी मदिरा की बिक्री (लाख बी.एल. में)			वास्तविक अर्जित अनुपात प्रतिशत	
	RSGSM	निजी डिस्ट.	RSGSM	निजी डिस्ट.	योग	RSGSM	निजी डिस्ट.
2013–14	50	50	654.55	986.87	1641.22	39.88	60.12
2014–15	45	55	774.77	1150.14	1924.91	40.25	59.75
2015–16 (31.12.2015 तक)	45	55	640.04	1005.77	1645.81	38.87	61.13

4.2.6 गत 3 वर्षों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 एवं निजी डिस्टलर्स द्वारा उत्पादित देसी मदिरा की बिक्री राशि का विवरण :–

वर्ष	मदिरा संभाग बिक्री रूपये लाख में		
	RSGSM	प्राईवेट	कुल
2013–14	26521.31	38784.14	65305.45
2014–15	31933.82	45964.24	77898.06
2015–16 (31.12.2015 तक)	27663.19	42645.18	70308.37

4.2.7 **जनजातीय क्षेत्रों में मदिरा दुकानों का संचालन :–** वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में जनजातिय क्षेत्र के जिलों में राज0 स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 स्वयं द्वारा तथा फ्रैंचाइज आधार पर निम्नानुसार दुकाने संचालित की गई हैं :–

क्र. सं.	यूनिट नाम	संस्थान द्वारा संचालित दुकानें	फ्रेन्चाइज आधार पर संचालित दुकानें
अ.	वर्ष 2013–14		
1.	बांसवाड़ा	15	11
2.	डूंगरपुर	17	13
	कुल योग	32	24
ब.	वर्ष 2014–15		
1.	बांसवाड़ा	12	16
2.	डूंगरपुर	16	14

	कुल योग	28	30
स.	वर्ष 2015–16 (31.12.2015 तक)		
1.	बांसवाड़ा	13	15
2.	डूंगरपुर	18	12
	कुल योग	31	27

4.2.8 रॉयल हैरिटेज लिक्कर :–

अ. कम्पनी द्वारा राज्य के पूर्ववर्ती राजा महाराजाओं ठिकानेदारों व रजवाडो द्वारा प्राचीन काल में तैयार की गई शाही मदिरा की रैसिपी के आधार पर "रॉयल हैरिटेज लिकर" निर्माण करने की महत्वपूर्ण योजना का प्रारम्भ वर्ष 2005–06 से जयपुर झोटवाडा डिस्टलरी में अर्द्धस्वचालित प्लांट में किया गया गया। माह मई, 2008 से रॉयल हैरिटेज लिकर के नियमित उत्पादन को बन्द किया गया था तथा मार्च 2015 से नियमित उत्पादन पुनः प्रारम्भ हुआ है। पूर्व में निर्मित हैरिटैज मदिरा स्टॉक दिनांक 31.03.2015 तक समाप्त हो चुका है। वर्ष 2015–16 में हैरिटेज के दो ब्राण्ड – रॉयल केसर/कस्तूरी एवं रॉयल सौंफ का उत्पादन कर विक्रय किया जा रहा है।

ब. इस राजकीय उपक्रम द्वारा हैरिटेज लिकर योजना का मूलभूत उद्देश्य व्यवसायिक नही था, वरन् राजस्थान प्रांत की लुप्त हो रही प्राचीन शाही मदिरा को पुनर्जीवित करते हुए राजा महाराजाओ के द्वारा प्रयोग में ली गई रैसिपी के आधार पर उच्च किस्म की **"पुरातनी वास्तविक भारतीय मदिरा"** को देश तथा विदेश में प्रचारित कर उपलब्ध कराने/उपयोग करने का अवसर प्रदान करना था।

स. राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन दिनांक 24.05.2010 के जरिये रॉयल हेरिटेज लिकर पर आबकारी शुल्क 50 प्रतिशत किया गया था। कम्पनी द्वारा न्यूनतम लाभ रखते हुए प्रत्येक ब्राण्ड हैरिटेज लीकर की नई दर दिनांक 28.05.2010 से परिवर्तित की गई। वर्ष 2015–16 से हैरिटेज लिकर पर पुनः 100 प्रतिशत की दर से आबकारी शुल्क लागू है।

द. रॉयल हैरिटेज लिकर की गत तीन वर्षो में हुई बिक्री (दिनांक 31.12.2015) निम्नानुसार है :–

वर्ष	बिक्री राशि (लाख रू. में)
2013–14	37.84
2014–15	61.92
2015–16 (31.12.2015 तक)	21.78

य. इस संस्थान के हैरिटेज सम्बन्धी नवाचार के फलस्वरूप वर्ष 2014–15 के अन्त तक संस्थान उत्पादित हैरिटेज मदिरा से राज्य सरकार को केवल आबकारी मद में ही रू. 5.29 करोड़ का राजस्व मिला है।

4.3 वित्तीय परिणाम :– गंगानगर शुगर मिल राज्य सरकार का एक लाभदायी उपक्रम है। वर्ष 2013–14 से 2015–16 (31.12.2015 तक) तक का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	चीनी संभाग बिक्री	मदिरा संभाग बिक्री	(रूपये लाखों में)			
			कुल	राज्य सरकार को भुगतान		अर्जित लाभ आयकर से पहले
				बोटलिंग फीस	विशेषाधिकार शुल्क	
2013–14	1314.79	26521.31 (RSGSM) 38784.14 (Private Dist.)	66620.24	2904.33	492.37	1044.25
2014–15	737.71	31933.82 (RSGSM) 45964.24 (Private Dist.)	78635.77	3415.73	384.98	1369.85

2015–16 (31.12.2015 तक)	1440.59	27663.19 (RSGSM) 42645.18 (Private Dist.)	71748.96	3193.15	-	-

4.4 न्यायिक प्रकरणों की स्थिति :–

मुख्यालय पर सहायक विधि परामर्शी के अधीन एक विधि प्रकोष्ठ कार्यरत हैं। इस प्रकोष्ठ द्वारा जहां विधिक बिन्दुओं पर राय दी जाती है, वहीं कम्पनी के विरूद्व दायर अथवा कम्पनी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रकरणों में अग्रेतर कार्यवाही की जाती है। दिनांक 31.12.2015 को लम्बित न्यायिक प्रकरणों की स्थिति निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	प्रकरणों का विवरण	न्यायालय में लम्बित प्रकरण						
		उच्चतम न्यायालय	उच्च न्यायालय जयपुर, जोधपुर में विचाराधीन		अधीनस्थ न्यायालय	ग्रेच्यूटी भुगतान प्राधिकारी	श्रम न्याया लय	योग
			जयपुर	जोधपुर				
1.	विचाराधीन	03	22	46	34	16	-	121
2.	जवाब पेश करना शेष	-	02	02	-	-	-	04
3.	निर्णय की क्रियान्वति	-	-	-	-	-	-	-
4.	अवमाना प्रकरण	-	-	-	-	-	-	-

जबाव हेतु विचाराधीन प्रकरण हाल ही में दायर हुये है व इनमें शीघ्र जबाव दायर करवाया जा रहा है।

4.5 राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स, जयपुर द्वारा चलाये जा रहे ई–गवर्नेस से सम्बन्धित कार्यक्रम :–

4.5.1 संस्थान में कम्प्युटराईजेशन का कार्य राज्य सरकार की सूचना प्रौद्योगिक नीति के तहत किया जा रहा है।

4.5.2 इसके अतिरिक्त उक्त वेबसाईट पर संस्थान से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ जैसे संस्थान के बारे में विस्तृत विवरण, बोर्ड ऑफ डायेक्टर्स की लिस्ट, संस्थान के मुख्य कार्य, संस्थान की शुगर मिल्स, लिकर डिविजन से सम्बन्धित पूर्ण जानकारी, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, संस्थान से सम्बन्धित आबकारी नीति की समस्त सूचनाएँ, समस्त निविदायें जो संस्थान द्वारा पैकिंग मैटेरियल, रॉ–मैटेरियल के लिए की जाती है, संस्थान की शेयर कैपिटल, संस्थान से सम्बन्धित समस्त पर्फोमेन्स विवरण, संस्थान में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों का संक्षिप्त विवरण, संस्थान के विभिन्न बॉण्डेड वेयरहाउस का विवरण इत्यादि भी उपलब्ध करवाई गई। उपरोक्त सभी सूचनाएँ समय–समय पर अपडेट की जाती है।

4.5.3 राज्य सरकार के निर्णय अनुसार आबकारी विभाग, RSBCL एवं RSGSM का एक कॉमन इन्टरफेस इन्ट्रीग्रेटेड पोर्टल www.rajexcise.gov.in के रूप में कार्यरत् है, जिसमे तीनो सम्बन्धित विभागों की सूचनाऐं, संकलित आंकडे, राज्य सरकार से सम्बन्धित राजस्व, संस्थान का राजस्व, ई–मेल आधारित सूचनाएँ एक ही स्थान/पोर्टल पर उपलब्ध है। संस्थान के सभी जिला कार्यालयों में ई–मेल आधारित सुविधा का उपयोग किया जा रहा है।

4.5.4 वर्ष 2013 में सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा, संस्थान की आवश्यकता अनुसार मुख्यालय, शुगर फैक्ट्री एवं मदिरालयों पर निम्नानुसार कार्मिक लगाये गये हैं :–

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पद	वर्तमान में कार्यरत
01.	ए.सी.पी. (उप निदेशक)	01	01 (अतिरिक्त प्रभार)
02.	प्रोग्रामर	02	02
03.	सहायक प्रोग्रामर	08	04
04.	सूचना सहायक	26	24

उपरोक्त कार्मिकों द्वारा संस्थान के सभी मॉडयूल्स ऑनलाईन करवाये जाने की प्रक्रिया करवाई जा रही है।

4.5.5 वर्तमान में संस्थान द्वारा निम्नलिखित गतिविधियॉ ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से की जा रही हैं :–

- देशी मदिरा के विपणन का समस्त कार्य यथा वार्षिक अनुबन्ध हेतु दरें प्राप्त करना, सप्लाई शिडयूल जारी करना, सप्लायर द्वारा इन्वाइस बनाना, सभी जिला डिपोज एवं सब–डिपोज पर देशी मदिरा प्राप्ति एवं विक्रय, विक्रय के आधार पर भुगतान का कार्य ऑनलाईन किया जा रहा है।

- चीनी उत्पादन की प्रक्रिया में तौल प्रक्रिया को बारकोड प्रणाली द्वारा ऑनलाईन सिस्टम से जोडा गया है जिससे जैसे ही किसी वाहन का तौल होता है सूचना सभी सक्षम स्तरों पर आईटी सिस्टम के वेब (Web) के मुख्य पृष्ठ पर दर्शित हो जाती है इस प्रकार चीनी उत्पादन प्रक्रिया की समस्त प्रणालियां जैसे गन्ना रस प्राप्ति आंकलन (ज्यूस एक्ट्रेक्शन) चीनी उत्पादन आदि से सम्बन्धित आंकड़े/तथ्य (डेटा) डैशबोर्ड पर ऑनलाईन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

- संस्थान के 20 मदिरालयों में मदिरा उत्पादन के कार्य ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किये जाने लगे है।

- संस्थान में सप्लायर्स के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कन्साईनमेन्ट आधारित प्रक्रिया को बन्द करते हुए वर्तमान में सेल आधारित प्रक्रिया अपनाई गई है। जिसमें देशी मदिरा के ऑनलाईन विक्रय होने पर प्रति सप्ताह बिके हुए माल का भुगतान अगली भुगतान प्रक्रिया में शामिल करते हुए ऑनलाईन भुगतान किया जाने लगा है। इससे सभी डिस्टलर्स एवं बॉटलर्स को भुगतान सम्बन्धित प्रक्रिया के लिए कन्साईनमेन्ट के सम्पूर्ण बिकने का इन्तजार नहीं करना होगा। जैसे–जैसे साप्ताहिक विक्रय होगा वैसे–वैसे भुगतान होता रहेगा।

- संस्थान के वित्तीय वर्ष 2015–16 में ऑनलाईन बैंक चालान प्रक्रिया लागू कर दी गई है। लाईसेन्सी स्वयं के सिस्टम से मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्रप्त कर स्वयं चालान बनाता है, तत्पश्चात उस चालान को बैंक में प्रस्तुत करता है, बैंक द्वारा चालान नम्बर को अपने सिस्टम में डालकर उसकी सत्यता को जॉचा जाता है व उसमें लिखी राशि जमा करने के पश्चात कम्प्युटर में वैरिफाई कर दिया जाता है। वैरिफिकेशन के आधार पर उक्त चालान की सूचना डिपो पर ऑनलाईन पहुंच जाती है। लाईसेन्सी द्वारा डिपो पर चालान प्रस्तुत किया जाता है, उस चालान को ऑनलाईन सिस्टम से वैरिफाई करते हुए आगे की प्रक्रिया अपनाई जाती है, व मदिरा का निर्गमन लाईसेन्सी को दिया जाता है। इसमें डिपो स्तर पर डिपो प्रभारी को चालान फीड करने की आवश्यकता नहीं है, ऑनलाईन प्रक्रिया में बैंक में चालान जमा होने के बाद हमारे सिस्टम में सम्बन्धित लाईसेन्सी के खाते में चालान ऑटोमेटिक मय राशि के अपडेट हो जाता है तथा उसे डिपो प्रभारी द्वारा केवल चैक करने के बाद ही माल ईश्यू किया जा सकता है, इसमें गलती की नगण्य संभावना होती है।

- आबकारी परमिट को जारी करने की भी ऑनलाईन व्यवस्था लागू कर दी गई है। वर्तमान में दो स्तरों पर ऑनलाईन आबकारी परमिट जारी किये जा रहे हैं, सप्लायर स्तर पर एवं लाईसेन्सी स्तर पर :–

1. **सप्लायर स्तर पर :–** सप्लायर देशी मदिरा सप्लाई करने हेतु सर्वप्रथम मुख्यालय, जयपुर से ओ.एफ.एस. ऑनलाईन प्राप्त करता है। ओ.एफ.एस. प्राप्त होने पर आबकारी विभाग को परमिट जारी करने हेतु ऑनलाईन रिक्वेस्ट भेजता है। उसी ऑनलाईन रिक्वेस्ट के आधार पर आबकारी विभाग ऑनलाईन परमिट जारी कर देता है। उक्त ऑनलाईन परमिट के आधार पर ही सप्लायर के युजर आई.डी. पर स्वतः ही इनवाईस बन जाती है, उसमें सप्लायर द्वारा पुनः किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, कुछ अतिरिक्त सूचनाएँ उनके द्वारा बिल जनरेट करने से पूर्व सिस्टम में डाली जाती है, तत्पश्चात ऑनलाईन परमिट के आधार पर बिल जनरेट हो जाता है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाईन है।

2. **लाईसेन्सी स्तर पर :–** लाईसेन्सी स्तर पर, लाईसेन्सी द्वारा सर्वप्रथम आबकारी एवं आरएसजीएसएम की राशि को ऑनलाईन चालान प्रक्रिया द्वारा बैंक में जमा करवाया जाता है। इसके पश्चात आबकारी विभाग के सम्बन्धित आबकारी सक्रिल इन्सपेक्टर द्वारा ऑनलाईन आबकारी परमिट बनाया जाता है। यह परमिट ऑनलाईन सिस्टम द्वारा बनाया जाता है, ऑनलाईन परमिट उनके द्वारा आरएसजीएसएम के सम्बन्धित डिपो पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर ही बनाया जा सकता है, स्टॉक नहीं होने पर परमिट नहीं बन सकता है। परमिट बनने के उपरान्त डिपो पर लाईसेन्सी द्वारा परमिट मय आरएसजीएसएम के चालान के डिपो पर उपस्थित होकर देशी मदिरा ली जाती है। इसमें परमिट के आधार पर ऑनलाईन सेल्स इन्वाईस बनाई जाती है, इसमें डिपो प्रभारी द्वारा किसी भी प्रकार की मैन्युअल एन्ट्री नहीं की जाती है, उनके द्वारा ऑनलाईन प्राप्त परमिट एवं ऑनलाईन चालान को वैरिफाई करते हुए सम्बन्धित लाईसेन्सी के बैलेन्स के आधार पर सेल्स इनवाईस बनाई जाती है।

   ऑनलाईन परमिट व्यवस्था के आधार पर ही वर्तमान में देशी मदिरा का क्रय एवं विक्रय किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के अवांछनीय मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नहीं रहती है, तथा सिस्टम पूर्णतः अपडेट व ऑनलाईन रहता है।

- संस्थान के निदेशक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार जिला डिपोज एवं सब डिपोज पर कम्प्युटर पर कार्य करने वाले श्रमिकों/च.श्रे.क. को रू. 500/– प्रतिमाह का भत्ता बतौर प्रोत्साहन राशि स्वीकृत किया गया है जिससे संस्थान के कार्मिकों का मनोबल बढा है। संस्थान के सभी 98 डिपोज में कार्य सॉफ्टवेयर द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

- राजस्थान सरकार के निर्णय अनुसार रू. 50.00 लाख से अधिक की निविदाओं को राजस्थान सरकार के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई–टेण्डरिंग के द्वारा निविदायें आमत्रिंत की जानी आवश्यक थी। इसका मुख्य उद्देश्य निविदा प्रक्रिया को पूर्ण रूप से पारदर्शी रखना है। इसकी अनुपालना में RSGSM में मुख्यालय स्तर पर उपरोक्त से संबंधित संपूर्ण प्रक्रिया 10 लाख से ऊपर की सभी निविदायें राज्य सरकार के ई–पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in के माध्यम से सफलतापूर्वक सम्पादित करवाई जा रही हैं।

5. आलौच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ :–

- नई एकीकृत चीनी मिल परियोजना दिनांक 15.01.2016 को ट्रायल किया जाकर गन्ना पिराई प्रारम्भ हो चुका है।

- मदिरा उत्पादन में आवश्यक रॉ–मैटेरियल तथा पैकिंग मैटेरियल के संधारण का कार्य ऑनलाईन किये जाने हेतु मॉडयूल तैयार कर मॉडयूल से रॉ–मैटेरियल एवं पैकिंग मैटेरियल के क्रय हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया यथा निविदा प्रक्रिया, कार्यादेश, सामग्री प्राप्त करने इत्यादि के कार्य को ऑनलाईन कर दिया गये है। इसके साथ ही पैकिंग मैटेरियल एवं रॉ–मैटेरियल का सप्लाई

शिडयूल ऑनलाईन जारी किये जा रहे हैं, एवं उसके साथ ही उक्त मैटेरियल की सप्लाई भी ऑनलाईन डिस्पैच नोट के जरिये प्राप्त की जा रही है।

- राजस्थान पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2013 के अनुसार समस्त प्रकार की क्रय जो रू. 10,000/– से अधिक है, को https://sppp.raj.nic.in पर अपलोड किया जा रहा है, जिससे किसी भी प्रकार की निविदा जारी करने में पूर्णतः पारदर्शिता रखी जा रही है।

- ऑनलाईन चालान :– वर्तमान में बैंक ऑफ बदौड़ा में राशि जमा कराने की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन है। इसमें लाईसेन्सी द्वारा आरएसजीएसएम के सिस्टम से ऑनलाईन चालान बनाकर बैंक में प्रस्तुत कर राशि जमा कराई जाती है, इस राशि के इन्द्राज आरएसजीएसएम के सर्वर पर ऑनलाईन प्राप्त हो जाते हैं। चालान की जमा प्रति के आधार पर डिपो प्रभारी द्वारा चालान को ऑनलाईन वैरिफाई करते हुए, अन्य ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाते हुए मदिरा का ईश्यू लाईसेन्सी को दिया जा रहा है। जहां बैंक ऑफ बदौड़ा की शाखा नहीं है उन 12 डिपोज पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में मैनयूअल चालान से लाईसेन्सी द्वारा राशि जमा करवाई जा रही है।

- ऑनलाईन परमिट :– ऑनलाईन परमिट हेतु आबकारी विभाग व आरएसजीएसएम को पूर्णतः इन्ट्रीगेट कर दिया गया है। इसमें सप्लायर स्तर पर एवं लाईसेन्सी स्तर पर आरएसजीएसएम के डाटाज के आधार पर ऑनलाईन परमिट जारी किये जा रहे हैं, जिसके आधार पर सप्लायर द्वारा बिलिंग एवं लाईसेन्सी के लिए सेल्स इन्वाईस बनाई जा रही है। इससे सभी स्तर पर डाटा पूर्णतः पारदर्शी एवं ऑनलाईन उपलब्ध होता है।

- ऑनलाईन परमिट वेलिडिटी एक्सटेंशन :– ऑनलाईन परमिट की वैधता अवधि में प्राप्त नही होने वाले सप्लायर के मदिरा कंसाईनमेन्ट की गाडियों के परमिट की वैधता अवधि को बढाने के लिए सप्लायर डिपो पर ऑनलाईन आवेदन भेजता है, जिसे डिपो प्रभारी द्वारा मुख्यालय, जयपुर ऑनलाईन भेजा जाता है, मुख्यालय, जयपुर द्वारा डिपो प्रभारी की अनुशंसा के आधार पर ऑनलाईन ही उसे स्वीकृत अथवा रिजेक्ट किया जाता है। स्वीकृत करने की स्थिति में कन्साईनमेन्ट की गेट एन्ट्री सम्बनित डिपो पर स्वतः ही हो जाती है, तत्पश्चात उस कन्साईनमेन्ट की स्टोर एन्ट्री (एम.आई.एस.) ऑनलाईन की जा सकती है। मुख्यालय, जयपुर द्वारा अनुशंसा रिजेक्ट किये जाने की स्थिति में आवेदन पुनः सप्लायर के लॉगइन पर चला जाता है। लाईसेन्सी के परमिट की वैधता अवधि बढाने के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऑनलाईन सिस्टम के माध्यम से कार्यवाही की जाती है। इसके बढाये जाने के उपरान्त ही डिपो प्रभारी द्वारा आरएसजीएसएम की बिलिंग की जा सकती है, अन्यथा नहीं।

6. सार–संक्षेप :–

- राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. राज्य सरकार का प्राचीनतम राजकीय उपक्रम है। जिसने सरकार की विभिन्न नीतियों, विशेषकर आबकारी नीति के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सदैव तत्परता से निर्देशित कार्यों का सफलतापूर्वक संपादन किया है। संस्थान द्वारा प्रदत्त लक्ष्यों की पूर्ति की गई है एवं आबकारी राजस्व सुनिश्चित हुआ है।

- राज्य सरकार के आदेशानुसार विशेष परिस्थितियों में खुदरा दुकानों का संचालन कर आबकारी नीति की पालना में सकारात्मक योगदान दिया है।

- वर्ष 2015–16 में बासवाडा तथा डूगरपुर जनजातिय क्षेत्र में संस्थान द्वारा 31 तथा फेंन्चाईजी आधार पर 27 दुकाने संचालित की जा रही है।

- संस्थान सदैव लाभ की स्थिति में रहा है वर्ष 2014–15 में कुल लाभ 78635.77 लाख में से राज्य सरकार को बॉटलिंग फीस के रूप मे 3415.73 लाख तथा विशेषाधिकार शुल्क के रूप मे 384.98 लाख का भुगतान करने के उपरान्त आयकर से पहले अर्जित लाभ रूपये 1369.85 लाख रहा है। संस्थान द्वारा आबकारी विभाग को वर्ष 2004–05 से निरन्तर विशेषाधिकार शुल्क/बाटलिंग फीस का भुगतान किया है।

- हैरिटेज सम्बन्धी नवाचार के फलस्वरूप वर्ष 2014–15 के अन्त तक संस्थान उत्पादित हैरिटेज मदिरा से राज्य सरकार को केवल आबकारी मद में ही रू. 5.29 करोड़ का राजस्व मिला है।

- Ease of doing business के तहत Online payment, Online OFS, Online Challan, Online permit इत्यादि की सुविधा प्रदान की गयी है।

- नई एकीकृत चीनी मिल परियोजना में दिनांक 15.01.2016 को ट्रायल किया जाकर गन्ना पिराई प्रारम्भ हुआ है।

*****